प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डसकस विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल,
आदर्श ग्राम, सहसपुर, देहरादून।

पत्रांक :— मान्यता/ ———— /2014—15 दिनांक : 01 जुलाय, 2014,

विषय :— हाईस्कूल नवीन की परीक्षा के लिए मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्या—301/XXiV—4/2014—05(35)/2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4 देहरादून, दिनांक 10 जून, 2014 के कमांक **03** में अंकित आपके विद्यालय के विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की **धारा—11(क)** के अन्तर्गत **हाईस्कूल नवीन** की वित्त विहीन मान्यता दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया है।

उक्त शासनादेश के कम में बालक विद्यालय के रूप में परिषद् की **वर्ष—2016** की **हाईस्कूल** नवीन की परीक्षा से **हिन्दी/अंग्रेजी** माध्यम में निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें इसके लिए संस्था अधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 9वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिए सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करेंगे।

कृ०प०उ०

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क)संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल नवीन	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी/संस्कृत 3. गणित/गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए) 4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 5. सामाजिक विज्ञान 6. कला शिक्षा 7. कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8. योग,आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	1. संगीत 2. पेंटिंग 3—वाणिज्य 4— गृह विज्ञान 5— प्रारम्भिक सूचना प्रौद्योगिक 6— कृषि 7— तृतीय भाषा,

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0 :— मान्यता/287-91 /2014—15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
(2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(3) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
(4) हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग, उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।

(डॉ0 डी0के0 मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।